



कौशल बलम्

# अनुदेशक भर्ती

## विवरणिका

### 2010

(आवेदन पत्र सहित)

**प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय**  
**उत्तराखण्ड हल्द्वानी, जनपद नैनीताल पि0कोड 263139**  
**राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक के पदों पर भर्ती के लिये विज्ञापन**  
**विज्ञापन संख्या – 1/104/2010**

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों के रिक्त पदों हेतु वेतनमान रु0 5000-150-8000 संशोधित वेतनमान पे बैंड -2 रु0 9300-34800 एवम रु0 4200 ग्रेड पे में वांछनीय योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थियों का उत्तराखण्ड स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में विज्ञापन की तिथि से पूर्व जीवित पंजीकरण होना अनिवार्य है। अनुदेशक भर्ती विवरणिका-2010 (आवेदन पत्र सहित) उत्तराखण्ड राज्य की वेबसाईट [www.gov.ua.nic.in](http://www.gov.ua.nic.in) एवं [www.ubter.in](http://www.ubter.in) से download कर अथवा जिले की नोडल आई0टी0आई0 से दिनांक 22-06-2010 से रु0 50/- अतिरिक्त शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण आवेदन पत्र, समस्त शैक्षिक योग्यता एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों सहित सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रु0 500/- और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए रु0 250/- का बैंक ड्राफ्ट जो कि “**सचिव उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की**” को देय हो के साथ दिनांक **13-07-2010** तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट /स्वयं द्वारा “**निदेशक, व्यवसायिक परीक्षा परिषद, आई0टी0आई0 (युवक) कैम्पस निरंजनपुर देहरादून -248001**” के कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदनकर्ता लिफाफे के बाहर अपने आवेदित पद एवं जनपद का नाम (जिस सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हों) मोटे अक्षरों में अनिवार्य रूप से अंकित करें। शैक्षिक योग्यताओं, प्राविधिक योग्यताओं, अनुभव, आरक्षण आदि के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ निर्धारित प्रारूप पर संलग्न करना आवश्यक है। अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना हस्ताक्षर प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

**प्रस्तावित** रिक्तियों की संख्या निम्नवत है जो आवश्यकता के अनुरूप घट-बढ़ सकती है। अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त प्रकाशित विज्ञापित को निरस्त करने का अधिकार निदेशक प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को निहित होगा। एक अभ्यर्थी केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है।

क्र. स.	व्यवसाय अनुदेशक	प्रस्तावित रिक्त पद	सामान्य (अनारक्षित)	अनुसूचित जाति (बैकलाग को शामिल करते हुए)	अनुसूचित जन जाति (बैकलाग को शामिल करते हुए)	अन्य पिछड़ा वर्ग (बैकलाग को शामिल करते हुए)
1	फिटर	73	44	14	3	12
2	टर्नर	19	11	4	1	3
3	मशीनिष्ट	17	9	4	1	3
4	इन्स्ट्रुमेन्ट मैकेनिक	5	3	1	0	1
5	मैकेनिक रेफ्रीजरेशन एवं ए0सी0	3	1	1	0	1
6	मैकेनिक मोटर व्हीकल एण्ड ड्राइविंग	34	17	8	2	7
7	वैल्डर	30	19	6	1	4
8	प्लम्बर	6	4	1	0	1
9	डाफ्टसमैन मैकेनिकल	7	5	1	0	1
10	ड्राफ्टसमैन सिविल	9	3	3	1	2
11	सर्वेयर	1	1	0	0	0
12	पेन्टर जनरल	3	2	1	0	0
13	विद्युतकार	73	40	15	5	13

क्र. स.	व्यवसाय अनुदेशक	रिक्त पद	सामान्य (अनारक्षित)	अनुसूचित जाति (बैकलाग को शामिल करते हुए)	अनुसूचित जन जाति (बैकलाग को शामिल करते हुए)	अन्य पिछडा वर्ग (बैकलाग को शामिल करते हुए)
14	वायरमैन	22	13	4	1	4
15	इन्फारमेशन टेक्नालॉजी	5	3	1	0	1
16	कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामर असिस्टेंट	19	11	4	1	3
17	डाटा इन्ट्री आपरेटर	22	14	4	1	3
18	कटिंग स्वीइंग	16	6	3	1	6
19	आशुलिपि हिन्दी	9	3	2	1	3
20	भाषा / सामाजिक अध्ययन (हिन्दी/अंग्रेजी)	11	3	4	1	3
21	कला/ गणित	106	60	23	6	17

### आयु सीमा :-

अनुदेशक पदों की भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 01-07-2010 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष है परन्तु जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में की गई विज्ञप्ति के सापेक्ष आवेदन किया है और उनके आवेदन पत्रों पर विभागीय तत्सम्बन्धी परीक्षा करवाये जाने की कार्यवाही की गई थी परन्तु कतिपय कारणों से परीक्षा निरस्त कर दी गई थी ऐसे समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों को इस विज्ञप्ति के सापेक्ष आवेदन करने पर उच्चतर आयुसीमा के अतिरिक्त आयुसीमा में 6 वर्ष की छूट दी जायेगी। यह छूट अभ्यर्थी द्वारा उचित साक्ष्य आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने पर ही देय होगी।

भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में छूट अनुमन्य शासनादेश के अनुसार प्रदान की जायेगी।

### आरक्षण :-

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

### अन्य वरीयता :-

उत्तराखण्ड रा0औ0प्र0संस्थान (अनुदेशक) सेवा नियमावली 2003 (यथा संशोधित वर्ष 2007) के भाग 5 की भर्ती प्रक्रिया प्रस्तर 14(4) में रा0औ0प्र0संस्थानों में प्रशिक्षण अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्रत्येक एक वर्ष पर एक वरीयता अंक परन्तु अधिकतम दस अंक प्रदान किये जायेंगे। एक वर्ष से कम कम अवधि की गणना नहीं की जायेगी। जिसका लाभ विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी /प्रशिक्षण मित्र अनुदेशकों को देय होगा।

नोट : 1. विज्ञापन संबंधी जानकारी हेतु कृपया दूरभाष नं0- 0135-6541822 पर कार्यालय दिवस में सम्पर्क करें। आई0टी0ई0 अनुदेशक भर्ती हेतु उत्तराखण्ड राज्य की वेबसाईट [www.gov.ua.nic.in](http://www.gov.ua.nic.in) एवं [www.ubter.in](http://www.ubter.in) से download कर सकते है।

2. वर्ष 2009 में विज्ञापित अनुदेशक पदों हेतु भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2009 दिनांक 20-02-2009 को निरस्त समझा जाये।

(डा0बी0वी0आर0पुरुषोत्तम)  
निदेशक।

नियुक्ति हेतु विभिन्न पदों के लिये आवश्यक शैक्षिक , प्राविधिक , प्रशिक्षण तथा अनुभव सम्बंधी अर्हतायें :-

क्रम संख्या 1 से 15 के पदों हेतु :-

1. अनिवार्य अर्हता :- ( प्रमाण-पत्र धारक )

- (क) शैक्षिक अर्हताएँ— इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण परन्तु हाईस्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों से उत्तीर्ण किया हो।
- (ख) प्राविधिक अर्हताएँ— सम्बन्धित व्यवसाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों सहित राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रमाण पत्र/ राष्ट्रीय शिशिक्षुता प्रमाण पत्र।
- (ग) एक वर्ष का सी0टी0आई0 प्रमाण पत्र
- (घ) अनुभव— प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए कम से कम पाच वर्ष का अनुभव जो किसी राज्य सरकार/सार्वजनिक प्रतिष्ठान/ख्याति प्राप्त निजी विभाग अथवा प्रतिष्ठान का सवेतन हो। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप 'द ' एवं 'य ' पर ही मान्य होंगे।

2. अधिमान :-

- (क) एन0सी0सी0 का 'बी' प्रमाण पत्र/प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो।  
या

1. अनिवार्य अर्हताएं – (डिप्लोमा धारक)

- (क) शैक्षिक अर्हताएं – इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण परन्तु हाईस्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों को उत्तीर्ण किया हो।
- (ख) प्राविधिक अर्हताएं – अभियन्त्रण की सम्बंधित शाखा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों सहित मान्यता प्राप्त संस्था से तीन वर्षीय डिप्लोमा तथा एक वर्ष का सी0टी0आई0 प्रमाण पत्र/टी0टी0टी0आई0 एक वर्षीय प्रशिक्षण।

2. अधिमान :-

- (क) एन0सी0सी0 का 'बी' प्रमाण-पत्र/प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो।

डिप्लोमा की सम्बंधित शाखाओं का सुझवात्मक विवरण निम्नवत् है :-

क	फिटर/टर्नर/मशीनिष्ट/एडवांस मोडयूल प्लांट प्रोसेसिंग	डिप्लोमा इन मैकेनिकल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग
ख	इन्स्ट्रुमेंट मैके0	डिप्लोमा इन इन्स्ट्रुमेंटेशन
ग	प्रशीतन एवं वातानुकूलन	डिप्लोमा इन रेफ्रीजरेशन इंजीनियरिंग
घ	मैकेनिक मोटर व्हीकल एण्ड ड्राइविंग	डिप्लोमा इन आटोमोबाइल इंजी0. सभी अभ्यर्थी हेतु हल्के एवं भारी वाहन चालक का वैध लाइसेंस आवश्यक।
ड	वैल्डर/प्लम्बर/ड्राफ्टसमैन मैकेनिक	डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजी0
च	ड्राफ्टसमैन सिविल/सर्वेयर	डिप्लोमा सिविल इंजी0
छ	पेन्टर जनरल	डिप्लोमा इन कैमिकल इंजी0
ज	इलैक्ट्रीशियन/वायरमैन/	डिप्लोमा इन इलैक्ट्रीकल इंजी0
झ	इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी	डिप्लोमा इन इन्फारमेशन टेक्नोलोजी

## क्रम संख्या – 16 , 17 एवं 18 पदों हेतु

### 1. अनिवार्य अर्हताएं :-

- (क) **शैक्षिक अर्हताएं** : – मान्यता प्राप्त बोर्ड से इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष ।
- (ख) **प्राविधिक अर्हताएं** :- संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों सहित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण-पत्र/सम्बन्धित व्यवसाय से राष्ट्रीय शिशिक्षुता प्रमाण-पत्र/सम्बन्धित शाखा में किसी भी मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/सैन्य कर्मी जिन्होंने सेना के किसी अंग में सम्बन्धित व्यवसाय में प्रमाण-पत्र के साथ पांच वर्ष से अधिक सेवा की हो ।
- (ग) **अनुभव** – प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुये कम से कम पांच वर्ष का अनुभव जो किसी राज्य सरकार/सार्वजनिक प्रतिष्ठान/ख्याति प्राप्त निजी विभाग अथवा प्रतिष्ठान का सवेतन हो । अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप 'द ' एवं 'य ' पर ही मान्य होंगे ।

### 2. अधिमान :-

- (क) संबंधित व्यवसाय में अनुदेशक का प्रशिक्षण (सी0टी0आई0) प्रमाण पत्र धारक को वरियता दी जायेगी ।
- (ख) एन0सी0सी0 का 'बी' प्रमाण पत्र/प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो ।

## क्रम संख्या –19 के पद हेतु

### 1. अनिवार्य अर्हताएं :-

- (क) शैक्षिक अर्हताएं :- हिन्दी विषय सहित इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण ।
- (ख) प्राविधिक अर्हताएं :-
- (ग) सम्बन्धित व्यवसाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों सहित राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण- पत्र/सचिवालय पद्धति में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा ।
- (घ) कम्प्यूटर संचालन का कम से कम छः माह का प्रशिक्षण ( छः माह का Word , Excel & Power Point के प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से दिया गया हो) । कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप 'र ' पर ही मान्य होगा ।
- (ङ) टंकण गति अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट तथा आशुलेखन अंग्रेजी में 120 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट

**नोट:-** लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का आशुलेखन एवं टंकणगति हेतु पृथक से कम्प्यूटर टाईपिंग परीक्षा आयोजित की जायेगी ।

- (क) अनुभव – प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुये कम से कम पांच वर्ष का अनुभव जो किसी राज्य सरकार/सार्वजनिक प्रतिष्ठान/ख्याती प्राप्त निजी विभाग अथवा प्रतिष्ठान का सवेतन हो । अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप 'द ' एवं 'य ' पर ही मान्य होंगे ।

### 2. अधिमान-

- (क) सम्बन्धित व्यवसाय में अनुदेशक का प्रशिक्षण ( सी0टी0आई0) प्रमाण-पत्र धारक को वरीयता दी जायेगी ।
- (ख) एन0सी0सी0 का 'बी' प्रमाण-पत्र/प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो ।

## क्रम संख्या —20 के पद हेतु

### 1. अनिवार्य अर्हताएं :-

**शैक्षिक योग्यता** —हिन्दी / अंग्रेजी विषय सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष की उपाधि प्राप्त हो तथा बी०एड० / एल०टी० (एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त) का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो ।

2. अधिमान—एन०सी०सी० का 'बी' प्रमाण—पत्र/प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो ।

## क्रम संख्या —21 पद हेतु

### 1. अनिवार्य अर्हताएं:-

(अ) शैक्षिक अर्हताएं :- इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण परन्तु हाईस्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों से उत्तीर्ण किया हो ।

(ब) प्रावधिक अर्हताएं — अभियन्त्रण की संबंधित शाखा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों सहित मान्यता प्राप्त संस्था से तीन वर्षीय डिप्लोमा तथा एक वर्ष का सी०टी०आई० प्रमाण—पत्र/टी०टी०टी०आई० एक वर्षीय प्रशिक्षण ।

### 2. अनुभव

(अ) प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव जो किसी राज्य सरकार/सार्वजनिक प्रतिष्ठान/ख्याती प्राप्त निजी विभाग अथवा प्रतिष्ठान का सवेतन हो ।

### 2. अधिमान

(अ) एन०सी०सी० का 'बी' प्रमाण—पत्र/प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो ।

**टिप्पणी :-** अनिवार्य योग्यता सी०टी०आई०/टी०टी०टी०आई० धारक अभ्यर्थी भर्ती के समय उपलब्ध न होने पर अन्य सुयोग्य अभ्यर्थी नियुक्त किये जा सकेंगे परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति के चार वर्ष के भीतर अपने व्यय पर सी०टी०आई० /टी०टी०टी०आई० का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करना होगा । इस प्रशिक्षण अवधि में कर्मचारी मूल वेतन प्राप्त करता रहेगा अन्यथा स्थिति में ऐसे नियुक्त कर्मचारी को सेवा से पृथक कर दिया जायेगा ।

**आयु सीमा :-** अनुदेशक पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 01-07-2010 को अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष एवं से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए है किन्तु जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में की गई विज्ञप्ति के सापेक्ष आवेदन किया है और उनके आवेदन पत्रों पर विभागीय तत्सम्बन्धी परीक्षा करवाये जाने की कार्यवाही की गई थी परन्तु कतिपय कारणों से परीक्षा निरस्त कर दी गई थी ऐसे अभ्यर्थियों को प्रस्तावित विज्ञप्ति के सापेक्ष आवेदन करने पर समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों को उच्चतर आयुसीमा के अतिरिक्त आयुसीमा में 6 वर्ष की छूट दी जायेगी । यह छूट अभ्यर्थी द्वारा उचित साक्ष्य आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने पर ही देय होगी । भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में छूट अनुमन्य शासनादेश के अनुसार प्रदान की जायेगी ।

**आरक्षण :** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

## राष्ट्रीयता:-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी —

(क) भारत का नागरिक हो या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जिसने भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हों।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

**टिप्पणी :** ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये। अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है।

**भर्ती की प्रक्रिया :-** रिक्त पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) के आधार पर चयन कर की जायेगी।

(1) लिखित परीक्षा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी जिसमें अंकों का बंटवारा निम्नांकित रूप से होगा :-

(क) – विषयपरक वस्तुनिष्ठ प्रश्न – 80 अंक

(ख) – सामान्य ज्ञान एवं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न – 20 अंक

(2) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के प्रश्न बुकलैट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

(3) लिखित परीक्षा की उत्तर सीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा परीक्षा के बाद डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

(4) लिखित परीक्षा में सही उत्तर पर एक अंक दिया जायेगा तथा त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक (Negative Marking) दिया जायेगा।

(5) लिखित परीक्षा के पश्चात, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड की बैबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।

(6) चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंकों को व्यापक परिचर्चित वाले दैनिक समाचार पत्रों पर प्रकाशित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड की वेबसाइट, निदेशालय के सूचना पटपर प्रदर्शित किया जायेगा।

**अन्य वरीयता:-**

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक एक वर्ष पर एक वरीयता अंक परन्तु अधिकतम दस अंक प्रदान किये जायेगें। एक वर्ष से कम की अवधि की गणना नहीं की जायेगी, जिसका लाभ विभाग में अस्थाई रूप से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी / प्रशिक्षण मित्र

अनुदेशकों को होगा। (दैनिक वेतन/प्रशिक्षण मित्र अनुदेशकों द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप “छ” पर ही मान्य है)।

### चयन प्रक्रिया:-

1. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कलैन्डर वर्ष में अवधारित रिक्तियां, सीधी भर्ती द्वारा लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) के आधार पर भरी जायेंगी।
2. किसी भी अभ्यर्थी को तब तक लिखित परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास वैद्य प्रवेश पत्र न हो।
3. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा परिणाम प्राप्त होने और व्यवसायवार सारिणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की कार्यवाही की जायेगी।
4. नियुक्ति अधिकारी वरिष्ठता के क्रम में लिखित परीक्षा और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राप्त वरीयता अंक में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंको के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर कुल अंक प्राप्त करें तो अधिक आयु प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी का नाम सूची के ऊपर रखा जायेगा।

### आवेदन पत्र का प्रारूप :-

आवेदन संलग्न आवेदन पत्र पर ही किया जाना अनिवार्य है। जिसमें किसी राजपत्रित अधिकारी सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सभी शैक्षिक, प्राविधिक योग्यता, प्रशिक्षण अनुभव, आरक्षण के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां सहित पूर्ण एवं हस्ताक्षर युक्त प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

### नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थाईकरण और ज्येष्ठता

1. किसी एक चयन के नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जाने की स्थिति में ऐसा संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख्य यथा -अवधारित ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा।
2. सेवा में किसी पद पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग -अलग मामलों में परिवीक्षा को बढ़ा सकता है।
3. यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति न अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अभ्यर्थी विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।
4. उप नियम (3) के अधीन जिस परीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त कीजायें, वह किसी प्रतिकार का हकदार नहीं होगा।
5. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसको नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय एवं सफलतापूर्वक सी0टी0आई0 आदि प्रशिक्षण आदि पूर्ण कर लिए हों, उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये और नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थाईकरण हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

6. जहां, राज्य के सरकारी सेवकों की स्थाईकरण नियमावली के उपबन्धों के अनुसार स्थाईकरण आवश्यक न हो तो वहां उस नियमावली के अधीन यह घोषणा करने का आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। स्थाईकरण का आदेश समझा जायेगा।
7. सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली के अनुसार अवधारित की जायेगी।

प्रस्तावित परीक्षा केन्द्र – देहरादून, हरिद्वार, श्रीनगर, काशीपुर , हल्द्वानी एवं अल्मोडा।

प्रस्तावित परीक्षा तिथि:- 01 -08-2010।

परीक्षा परिणाम घोषित :- 10-08-2010।

\*\*\*\*\*



11. माता का नाम (हिन्दी) में.....

12. जाति श्रेणी, सही (✓) लगाये: सामान्य  पिछड़ी जाति  अनुसूचित जाति  अनु० जनजाति   
(प्रारूप अ/ब)

13. क्षैतिज आरक्षण श्रेणी(✓) लगाये: महिला  भूतपूर्ण सैनिक  स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित   
(प्रारूप स) विकलांग  अन्य  (उल्लेख करे.....)

14. (क) क्या आप विवाहित है.....

(ख) यदि हां तो क्या आपकी एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां है—(पुरुष अभ्यर्थी के लिये).....

(ग) यदि हां तो क्या आपने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी एक पत्नी पहले से ही जीवित है (महिला अभ्यर्थी के लिये ).....

15. ऐसे दो उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, व्यवसाय एवं पूरा पता लिखिये जो आपके संबंधी न हो, परन्तु आपके वैयक्तिक जीवन से भली-भांति परिचित हो (टिप्पणी:—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधान या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। नैतिक अद्यमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे)

1. .... 2. ....  
.....  
.....  
.....

16. शैक्षिक एवं प्राविधिक योग्यतायें :- हाईस्कूल एवं उससे ऊपर क्रम में।

क्र०सं०	परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांक / पूर्णांक

17. अपनी विगत नियुक्तियों का पूर्ण विवरण दीजियें (अनुभव प्रमाण पत्र प्रारूप द अथवा य पर प्रस्तुत करें)।

पद का नाम	नियुक्ति का स्थान	सेवायोजक का नाम	सेवा में प्रवेश की तिथि	सेवा छोड़ने की तिथि	वेतनमान

18. क्या किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा आपको कभी दण्ड मिला है यदि हां तो वह दण्ड क्या था और किन परिस्थितियों में मिला .....
19. उत्तराखण्ड के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण (प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)
1. सेवायोजन कार्यालय का नाम .....
  2. पंजीकरण संख्या: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 3.दिनांक 

--	--	--	--	--	--	--	--
  4. क्या आपका पंजीकरण विज्ञापन की तिथि को जीवित है।    हाँ/नहीं 

--
  5. संलग्न बैंक ड्राफ्ट संख्या ..... तिथि ..... धनराशि..... बैंक का नाम .....
  6. आई0टी0आई0 में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी/प्रशिक्षण मित्र अपनी सेवावधि का प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप "छ" पर) अपने प्रधानाचार्यों द्वारा प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

## घोषणा पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री .....  
 .....घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना तथा प्रमाण पत्र मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं, मेरे द्वारा इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई तथ्य असत्य जाया जाता है तो मेरा आवेदन पत्र निरस्त किए जाने एवं मेरे विरुद्ध समुचित कार्यवाही किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, तथा इसके लिए मैं कोई दावा प्रस्तुत नहीं करूँगा/करूँगी।

स्थान : .....

अभ्यर्थी का पूरा हस्ताक्षर .....

दिनांक: .....

पूरा नाम: .....

## अनुदेशक पद भर्ती – 2010 हेतु

### प्रवेश पत्र

अनुक्रमांक : .....

आवेदित पद का नाम : .....

अभ्यर्थी का नाम : .....

आरक्षण वर्ग : .....

पिता का नाम : .....

आरक्षण उपवर्ग : .....

पता :

परीक्षा केन्द्र : .....

परीक्षा तिथि : .....

केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर .....

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री .....पुत्र  
/पुत्री/पत्नि श्री.....से भली भाँति

परिचित हूँ और उपरोक्त फोटो एवं हस्ताक्षर  
मेरे द्वारा सत्यापित किये गये हैं।

दिनांक : हस्ताक्षर  
सत्यापनकर्ता (राजपत्रित अधिकारी).....  
नाम .....  
कार्यालय मोहर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर .....

नवीनतम पासपोर्ट साइज  
फोटोग्राफ जो किसी  
राजपत्रित अधिकारी  
से प्रमाणित हो

### सत्यापन प्रपत्र

अनुक्रमांक : .....

आवेदित पद का नाम : .....

अभ्यर्थी का नाम : .....

आरक्षण वर्ग : .....

पिता का नाम : .....

आरक्षण उपवर्ग : .....

परीक्षा केन्द्र : .....

परीक्षा तिथि : .....

नवीनतम पासपोर्ट साइज  
फोटोग्राफ जो किसी  
राजपत्रित अधिकारी  
से प्रमाणित हो

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर .....  
(परीक्षा केन्द्र में)

हस्ताक्षर परिनिरीक्षक .....

चैक लिस्ट :- आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रों को संलग्न करने के पश्चात सही (√) का निशान लगायें ।

1.	हाई स्कूल अंक तालिका ।	(हाँ / नहीं)
2.	हाई स्कूल प्रमाण पत्र ।	(हाँ / नहीं)
3.	इण्टरमीडीएट अंक तालिका ।	(हाँ / नहीं)
4.	इण्टरमीडीएट प्रमाण पत्र ।	(हाँ / नहीं)
5.	स्नातक	(हाँ / नहीं)
6.	बी0एड0 / एल0टी0	(हाँ / नहीं)
7.	प्राविधिक अर्हता (Technical Qualification) से संबंधित (ITI/Diploma) अंक तालिका ।	(हाँ / नहीं)
8.	प्राविधिक अर्हता का प्रमाण पत्र ।	(हाँ / नहीं)
9.	सी0टी0आई0 / टी0टी0टी0आई0 प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र ।	(हाँ / नहीं)
10.	अनुभव प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) ।	(हाँ / नहीं)
11.	एन0सी0सी0 का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) ।	(हाँ / नहीं)
12.	आरक्षित श्रेणी हेतु जाति प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) ।	(हाँ / नहीं)
13.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) ।	(हाँ / नहीं)
14.	सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण पत्र ।	(हाँ / नहीं)
15.	घोषणा पत्र	(हाँ / नहीं)
16.	बैंक ड्राफ्ट	(हाँ / नहीं)
17.	आयुसीमा में छूट हेतु साक्ष्य या प्रमाण पत्र	(हाँ / नहीं)

जांचकर्ता के हस्ताक्षर

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

## प्रारूप 'अ' प्रमाण पत्र

### अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....  
..... निवासी ग्राम/मौहल्ला/वार्ड ..... तहसील ..... जिला .....  
..... उत्तराखण्ड राज्य की.....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान  
(अनुसूचित जाति) आदेश 1950 जो कि समय-समय पर संशोधित हुआ है (संविधान) अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश ( आदेश ) 1987 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/कु./श्रीमती.....तथा/अथवा उसका परिवार.....ग्राम.....  
.....तहसील.....नगर.....जिला.....में सामान्यता रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम.....

पद का नाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/

सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/

तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट,

यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

कार्यालय मुहर

**टिप्पणी :** उपरोक्त प्रमाण पत्रा केवल उपरोक्त वर्णित किसी एक अधिकारी द्वारा जारी किया जाना आवश्यक है। अन्य किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण मान्य नहीं होगा।

## प्रारूप 'ब' प्रमाण पत्र

### अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति के प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती .....पुत्र/सुपुत्री/श्री.....  
..... निवासी ग्राम..... जिला ..... उत्तराखण्ड राज्य की.....  
..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं, जिसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम) 1994 की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती.....उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची-दो (अधिसूचना संख्या-22/16/12-क-2/1995 टी.सी. दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 द्वारा संशोधित) से आच्छादित नहीं है।

श्री/कु./श्रीमती.....तथा/अथवा उसका परिवार ग्राम.....  
.....तहसील..... नगर..... जिला..... में सामान्यता रहता है।

स्थान.....  
दिनांक.....  
मुहर.....

हस्ताक्षर .....  
पूरा नाम.....  
पद नाम .....  
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/  
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट

## प्रारूप 'स' प्रमाण पत्र

### स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती .....पुत्र/सुपुत्री/श्री.....  
..... निवासी ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला .....  
..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा ( शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) .....  
..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्र उपरांकित अधिनियम 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कानाम)..... के आश्रित है।

स्थान.....  
दिनांक.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर .....  
पूरा नाम.....  
पद नाम .....  
मुहर.....  
जिलाधिकारी (सील)

प्रारूप ' द ' अनुभव प्रमाण पत्र ( राजकीय एवं सार्वजनिक उपकर्मों हेतु )

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .....  
..... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ..... हमारे प्रतिष्ठान .....  
..... में पदनाम ..... पर वेतनमान..... में  
दिनांक ..... से दिनांक ..... तक कार्यरत हैं / रहे/रही हैं ।  
उक्त अवधि में इनका कार्य एवं व्यवहार ..... रहा है  
।

हस्ताक्षर  
(कार्यालयाध्यक्ष का नाम )  
कार्यालयाध्यक्ष की सील

प्रारूप ' य ' अनुभव प्रमाण पत्र ( निजी प्रतिष्ठानों हेतु )

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .....  
..... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ..... हमारे प्रतिष्ठान .....  
..... में पदनाम ..... पर वेतन..... में  
दिनांक ..... से दिनांक ..... तक कार्यरत हैं / रहे/रही हैं । हमारे  
प्रतिष्ठान का बिक्रीकर विभाग का टिन संख्या ..... है ।  
उक्त अवधि में इनका कार्य एवं व्यवहार ..... रहा है ।

हस्ताक्षर  
( प्रतिष्ठान प्रमुख का नाम )  
प्रतिष्ठान की सील

प्रारूप ' र ' कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... ने हमारे प्रतिष्ठान .....  
..... से दिनांक ..... दिनांक ..... तक  
(कुल अवधि.....माह/वर्ष) कम्प्यूटर में .....का  
प्रशिक्षण प्राप्त किया। हमारा प्रतिष्ठान शासनादेश संख्या..... द्वारा  
उत्तराखण्ड/केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त है।

उक्त अवधि में इनका कार्य एवं व्यवहार ..... रहा है ।

हस्ताक्षर  
(प्रतिष्ठान प्रमुख का नाम )  
प्रतिष्ठान की सील

प्रारूप ' ल ' भूतपूर्व सैनिक / सेवारत सैनिक / आश्रितों हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कुमारी / श्रीमती .....  
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ..... नम्बर .....  
पद ..... यूनिट / रेजिमेन्ट में दिनांक ..... से  
दिनांक ..... तक सेवारत रहा / है / युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए।

स्थान :  
दिनांक:

हस्ताक्षर  
(कमान अधिकारी यूनिट /  
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी)  
कार्यालया की सील

## अभ्यर्थी द्वारा दिये जाने वाला घोषणापत्र

मैं .....पुत्र/पुत्री /पत्नी श्री .....घोषणा करता / करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी समस्त घोषणायें मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य हैं । यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि उक्त घोषणायें असत्य हैं अथवा यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा कोई सूचना छिपायी गयी है तो मेरा आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा , जिसपर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

अभ्यर्थी के नाम व हस्ताक्षर

प्रारूप ' छ ' अनुभव प्रमाण पत्र ( दैनिक वेतन / प्रशिक्षण मित्र अनुदेशक हेतु )

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .....  
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ..... राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ....  
..... में प्रशिक्षण मित्र / दैनिक वेतन अनुदेशक ..... पर  
दिनांक ..... से दिनांक ..... तक (कुल कार्य अवधि ..... वर्ष ..... माह)  
कार्यरत रहे / रही हैं ।

उक्त अवधि में इनका कार्य एवं व्यवहार ..... रहा है ।

हस्ताक्षर  
प्रधानाचार्य  
कार्यालय सील